उपजाऊ भूमि पर कास्त न किया जाना

3323. श्री अजीत जोगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड में गंगा-यमुना के जलग्रहण क्षेत्रों में एकड़ों उपजाऊ भूमि बीहड़ होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र की सतह और उपजाऊ बनाने के लिये इस क्षेत्र के किसानों को इस भू-भाग का स्वामित्व अधिकार देने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) बुन्देलखंड क्षेत्र में तंगघाटी का बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। 5.79 लाख हैक्टेयर क्षेत्र (उत्तर प्रदेश में लगभग 4.64 लाख हैक्टेयर और मध्य प्रदेश में 1.15 लाख हैक्टेयर तंगघाटी से प्रभावित है।

(ख) केन्द्र द्वारा निधि प्रदत्त एक योजना अर्थात् "तंगघाटी क्षेत्रों का सुधार स्थितीकरण" 1987-88 से 1990-91 तक कार्यान्वित की गई थी और बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार इसे राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण और वर्षा-सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना इस क्षेत्र में चल रही है।

(ग) से (ङ) किसानों को स्वामित्वता के अधिकार प्रदान करना संबंधित राज्यों के विद्यमान कानून और नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

मसालों की वार्षिक मांग

3324. श्री शिव प्रताप मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में मसालों की वार्षिक मांगें कितनी रही हैं और इसका वार्षिक उत्पादन कितना कितना रहा है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्यात किए गए और निर्यात किये जाने वाले मसालों का उनके मूल्य सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु दिये गए अथवा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों या सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) मसालों की वार्षिक आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया गया है। वर्ष 1991-92, 1992-93 के लिये मसालों का अनुमानित उत्पादन तथा 1993-94 के लिये लक्ष्य इस प्रकार हैं :

	उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1991-92	19.5
1992-93	20.5 (अनन्तिम)
1993-94	22.0 (लक्ष्य)

(ख) निर्यात किए जाने वाले महत्वपूर्ण मसाले हैं काली मिर्च, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, करी-पाउडर, मसालों के ओलियोरेजिन तथा तेल आदि।

वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान निर्यात किये गए कुल मसालों की मात्रा तथा प्राप्त मूल्य इस प्रकार हैं :

	मात्रा (हजार मीटरी टन)	प्राप्त कुल मूल्य (रुपये करोड़ों में)
1991-92	142.1	380.97
1992-93	255.6	386.75
1993-94	133.7	485.10

(ग) आठवीं योजना के अनुसार मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये 125 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित मसाला विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । प्रदत्त प्रोत्साहनों/सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)। इसके अलावा, 15000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से ड्रिप सिंचाई पर सहायता दी जाती है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित समेकित मसाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त सहायता/राज सहायता

कार्यक्रमों के नाम	सहायता की दर	
I. काली मिर्च		
1. रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण	0.75 रूपये प्रति कटिंग	50 प्रतिशत
2. काली मिर्च के पुराने उद्यानों को फिर से ठीक करना		
प्रथम वर्ष	3500 रुपये प्रति हैक्टेयर	50 प्रतिशत
दूसरा वर्ष	1300 रुपये प्रति है०	25 प्रतिशत
तीसरा वर्ष	1600 रुपये प्रति है०	25 प्रतिशत
3. शीघ्र मुरझान रोग के प्रति पौध रक्षण उपाय अपनाना (रसायनों की लागत)	1860 रूपये प्रति है०	50 प्रतिशत
4. छोटी पत्ती के रोग का उन्मूलन	25 रुपये प्रति बेल	
5. क्षेत्रीय प्रदर्शन भूखण्ड (आदानों की लागत)		
प्रथम वर्ष	225 रुपये	50 प्रतिशत
दूसरा वर्ष	140 रु०	
तीसरा वर्ष	150 रु०	
6. एच०पी०टी० के बड़े पैमाने के प्रदर्शन (आदानों की लागत)		
प्रथम वर्ष	5000 रु०	50 प्रतिशत
दूसरा वर्ष	3500 रु०	33 प्रतिशत
तीसरा वर्ष	2500 रु०	25 प्रतिशत
7. क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम		
प्रथम वर्ष	5000 रु०	50 प्रतिशत
दूसरा वर्ष	3000 रु०	40 प्रतिशत
तीसरा वर्ष	2000 रु०	25 प्रतिशत
II. अदरक		
1. प्रदर्शन एवं बीज संवर्धन भूखण्डों की स्थापना (चयनित आदानों की लागत)	1200 रुपये 0.1 है० के प्रति प्लाट	50 प्रतिशत
2. मिनिकिटों का वितरण	25 रुपये प्रति मिनिकिट	50 प्रतिशत
3. पौध रक्षण प्रदर्शन कार्यक्रम	1000 रुपये प्रति हैक्टेयर	50 प्रतिशत
4. क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	5000 रुपये प्रति हैक्टेयर	25 प्रतिशत
III. हल्दी		
1. प्रदर्शन एवं बीज संवर्धन प्लाटों की स्थापना	825 रुपये प्रति प्लाट, 0.1 है के	50 प्रतिशत
2. क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	4000 रु० प्रति है०	25 प्रतिशत
3. कास्तिशिव कुलों के नियंत्रण के लिये सहायता देना।	1500 रु० प्रति यूनिट	50 प्रतिशत

कार्यक्रमों के नाम		सहायता की दर
IV. मिर्च		
1. प्रदर्शन एवं बीज संवर्धन प्लाटों की स्थापना (चयनित आदानों की लागत)	700 रुपये प्रति प्लाट 0.1 है० के	50 प्रतिशत
2. पौध रक्षण उपायों का प्रदर्शन (पौध रक्षण रसायनों की लागत)	250 रुपये प्रति है०	50 प्रतिशत
3. मिनिकिटों का वितरण	50 रुपये प्रति मिनिकिट	50 प्रतिशत
4. क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	3000 रु० प्रति है०	25 प्रतिशत
5. पपरिका के बीजों का उत्पादन		
6. पपरिका के प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना	800 रुपये प्रति प्लाट 0.1 है० के	50 प्रतिशत
V. वृक्ष मसाले		
1. अच्छे गुण स्तर की रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण		
1. लौंग	3 रु० प्रति पौध	50 प्रतिशत
2. जायफल	6 रु० प्रति पौध	50 प्रतिशत
3. दालचीनी/तेजपत्ता	1 रु० प्रति पौध	50 प्रतिशत
2. वृक्ष मसालों के प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना (चयनित आदानों की लागत)		
प्रथम वर्ष	400 रु० प्रत्येक	30 प्रतिशत
दूसरा वर्ष	170 रु० प्रत्येक	30 प्रतिशत
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ष	150 रु० प्रत्येक	30 प्रतिशत
VI. पौध बीज मसाले		
1. किसानों के खेतों पर प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना (चयनित आदानों की लागत)	500 रु० प्रति प्लाट	50 प्रतिशत
2. मिनिकिटों का वितरण	100 रु० प्रति मिनिकिट	50 प्रतिशत
VII. लहसन		
1. क्षेत्रीय प्रदर्शन (आदानों की लागत)	500 रु० प्रति प्लाट	50 प्रतिशत
2. मिनिकिटों का वितरण	375 रु० प्रति मिनिकिट	50 प्रतिशत
VIII. केसर		
1. प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना (चयनित आदानों की लागत)		
प्रथम वर्ष	1250 रु० वर्ष	50 प्रतिशत
दूसरा वर्ष	250 रु०	50 प्रतिशत
तीसरा वर्ष	250 रु०	50 प्रतिशत
IX. इमली		
1. रोपण सामग्री उत्पादन और वितरण	5 रु० प्रति रोपण सामग्री	50 प्रतिशत
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रदर्शन एवं उत्तम नस्ल के उद्यानों की स्थापना और रख-रखाव (स्थापना/रख-रखाव की लागत)	15.85 लाख रुपये प्रति यूनिट	
X. सामान्य कार्यक्रम		
1. पौध रक्षण उपकरणों का वितरण	750 रुपये प्रति उपकरण	50 प्रतिशत
2. मृदा संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना।	3000 रु० प्रति है०	25 प्रतिशत